राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना,उत्तराखण्ड अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य में दुधारू पशु उपलब्ध कराने हेतु डेरी फार्म पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून
jd-dairy-uk@gov.in

डेरी फार्म पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

(वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु)

क0सं0	**पंजीकरण हेतु वांछित बिन्दु**	**विवरण**
1	आवेदक/डेरी फार्म का नाम एवं पता	
2	जनपद एव ंराज्य	
3	डेरी फार्म स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर	
4	डेरी फार्म रजिस्ट्रेशन नम्बर (यदि फार्म रजिस्टर्ड है)	
5	पशुओं का टीकाकरण (है या नहीं)	
6	यदि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/परियोजना अन्तर्गत पशुओं को विक्रय किया गया (है या नही)	
7	किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/परियोजना अन्तर्गत पशु विक्रय हेतु रजिस्टर्ड (है या नही)	
8	डेरी फार्म स्वामी के बैंक खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड व बैंक शाखा विवरण	
9	वर्तमान में उपलब्ध पशुओं का विवरण–	

क0सं0	विवरण	संकर/विदेशी (संख्या)			मुर्रा भैंस (संख्या)
		देशी	जर्सी	हॉल्स्टन फ्रिजन	
1	दुधारू गाय/भैंस की कुल संख्या				
2	01 से 03 ब्यात तक के पशुओं की संख्या				
3	10–15 ली0 दूध देने वाले पशुओं की संख्या				

घोषणाः–

मैं ....घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त समस्त विवरण पूर्ण रूप से सही है। साथ ही डेरी फार्म पंजीकरण की नियम व शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गयी है जिनका अनुपालन मेरे द्वारा पूर्ण रूप से किया जायेगा।

हस्ताक्षर

डेरी फार्म स्वामी

डेरी फार्म पंजीकरण हेतु नियम एवं शर्तेः–

दुधारू पशुक्रय में सुगमता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं (गाय व भैंस) की आपूर्ति करने के लिये प्रदेश के बाहर के डेरी फार्मों/पशु व्यापारियों के डेरी विकास विभाग में संचालित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु पंजीकरण के लिये आवश्यक शर्तों एवं नियमों का विवरण–

1–पशुक्रय के समय डेरी फार्म/पशु व्यापारी के पास निम्नलिखित मानकों के अनुसार न्यूनतम 20 दुधारू पशु विक्रय हेतु अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।

- गाय की उम्र 4 वर्ष 06 माह व भैंस की उम्र 05 वर्ष से अधिक न हो अर्थात पशु तीन ब्यांत से अधिक का न हो। उक्त दुधारू पशु के साथ उसका बच्चा (बछडा/बछडी) अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।
- गाय का दूध न्यूनतम 12 ली0/दिन व भैंस का दूध 10 ली0/दिन से कम न हो।
- दुधारू पशु की कीमत रू0 50,000.00 से अधिक न हो।

2–पशुक्रय के समय डेरी फार्म/पशु व्यापारी के पास न्यूनतम देशी/विदेशी नस्ल की गाय व मुर्रा नस्ल की भैंस उपलब्ध होने चाहिये।

3–लाभार्थी को दुधारू पशुक्रय से पूर्व न्यूनतम तीन टाईम का दूध दुहकर देखने का अधिकार होगा।

4–लाभार्थी के ठहरने की उचित व्यवस्था डेरी फार्म के निकट फार्म स्वामी अथवा पशु व्यापारी, यथास्थिति, द्वारा की जायेगी जिसका भुगतान सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।

5–पशु परिवहन हेतु वाहन (ट्रक) एवं पशुओं की लोडिंग की व्यवस्था डेरी फार्म स्वामी अथवा पशु व्यापारी, यथास्थिति, द्वारा की जायेगी। यातायात व्यय का भुगतान संबंधित लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

6–परिवहन के समय दुधारू पशु हेतु आवश्यक चारे दाने की व्यवस्था डेरी फार्म स्वामी द्वारा की जायेगी।

7–डेरी फार्म स्वामी द्वारा दुधारू पशुओं का टीकाकरण कराया जाना अनिवार्य होगा जिसका प्रमाणपत्र फार्म स्वामी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

8–पशुक्रय उपरान्त निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्ति के पश्चात ही पशु कीमत की धनराशि सीधे डेरी फार्म स्वामी के बैंक खाते मे स्थानान्तरित की जायेगी जिसके लिये डेरी फार्म स्वामी अथवा पशु व्यापारी, द्वारा अपना बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड व बैंक शाखा सहित पूर्ण विवरण के साथ बैंक खाते का एक कैन्सिल्ड चैक, जिस पर उसका नाम लिखा हो, उपलब्ध कराना होगा।

- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित)।
- क्रय–विक्रय प्रपत्र (क्रेता–विक्रेता एवं क्रय कमेटी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित)
- क्रय किये गये पशु सहित क्रेता एवं विक्रेता का रंगीन फोटो।
- यदि दुधारू पशु क्रय के समय ही पूर्ण से रूप से भरी हुई क्रय–विक्रय रशीद पर पशु विक्रेता के हस्ताक्षर नही पाये जाते है तो पशु मूल्य के भुगतान मे विलम्ब अथवा भुगतान नही हो पाने की स्थिति के लिये पशु विक्रेता पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

9–डेरी फार्म का पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मान्य होगा। इस अवधि में यदि डेरी फार्म स्वामी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित का निबन्धन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, इसके लिये परियोजना कार्यालय, डेरी पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा।

10– डेरी फार्म स्वामी द्वारा दुधारू पशुओं का विक्रय यदि जनपदीय क्रय कमेटी की अनुपस्थिति में किया जाता है तो विक्रय दुधारू पशुओं का भुगतान नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित डेरी फार्म का निबन्धन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिये पशु विक्रेता पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

योजनान्तर्गत डेरी फार्म स्वामियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये पते पर दुधारू पशु विक्रय हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लाभार्थियों को दुधारू पशु क्रय में सुगमता के दृष्टिगत राज्य के बाहर के दुधारू पशु प्रदेश अन्तर्गत विक्रय हेतु उपलब्ध कराने के लिये डेरी फार्म स्वामियों को उनके स्थायी पते के साथ–साथ राज्य के निम्न चार स्थानों पर दुधारू पशु विक्रय की अनुमति प्रदान की जा सकती है–

1–आंचल पशु आहार निर्माणशाला, रूद्रपुर जनपद ऊधमसिंह नगर।

2–जनपद ऊधमसिंह नगर।

3–नरियाल गांव राजकीय पशुफार्म, पशुपालन विभाग, जनपद चम्पावत।

4–दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ श्रीनगर–गढवाल, डेरी परिसर श्रीनगर, जनपद पौडी गढवाल।

5–जनपद देहरादून।

इच्छुक डेरी फार्म स्वामी यदि अपने स्थायी पते के साथ–साथ उक्त 04 स्थानों में से किसी एक स्थान पर दुधारू पशु विक्रय हेतु सहमत है तो इस हेतु परियोजना निदेशक, डेरी के लिये एक प्रार्थना पत्र (प्रति संलग्न), जिसमें पूर्ण पता अंकित हो, डेरी फार्म पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।

नोट–डेरी फार्म स्वामी/पशु व्यापारी द्वारा योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेज सहित भौतिक रूप में/स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक से ''कार्यालय संयुक्त निदेशक/सम्पर्क कार्यालय डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, आंचल डेरी परिसर, रायपुर रोड, देहरादून'' में आवेदन पत्र के साथ दिनांक–05 मई, 2022 तक जमा कराना आवश्यक है।

1. पंजीकरण फार्म (घोषणा पत्र सहित हस्ताक्षरित)
2. पंजीकरण शुल्क (5900.00 रू0 जी0एस0टी0 सहित) 'Project Director (Dairy), Kendriya Kshetrak Ekikrit Krishi Sahkarita Pariyojna, Uttarakhand, Dehradun'के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट।
3. फर्म रजिस्ट्रेशन प्रपत्र (यदि हो तो)।
4. पशु टीकाकरण प्रमाण पत्र।
5. यदि पूर्व में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/परियोजना अन्तर्गत पशु विक्रय किये गये हैं तो उसका संतोषजनक कार्य/प्रमाण पत्र।

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित
'' राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून ''
पशु क्रय विवरण–प्रपत्र (प्रत्येक पशु के लिये अलग–अलग)

<table>
<tr><th colspan="2">क्रेता–विक्रेता का विवरण</th></tr>
<tr><td>क्रेता का विवरण</td><td>विक्रेता का विवरण</td></tr>
<tr><td>1. क्रेता का नाम...
2. पिता / पति का नाम...
3. लाभार्थी की श्रेणी (APL/BPL) एवं (SC/ST)– ....
4. पूर्ण पता–...
....
5. समिति का क्षेत्र (पर्वतीय / मैदानी)–.....................
....
6. टेलीफोन / मो0नं0..
7. समिति का नाम..</td><td>1. विक्रेता का नाम...................................
2. पिता का नाम...
3. पूर्ण पता–...
....
4. टेलीफोन / मो0नं0...
5 बैंक खाता संख्या–...
6 आई0एफ0एस0सी0 कोड–..................................
7 बैंक शाखा विवरण–..
....
8 पशु का मूल्य उक्त बैंक खातें में हस्तान्तरित किया जाये।</td></tr>
</table>

<u>क्रय पशु का विवरण</u>

1. पशु क्रय करने की तिथि................................... पशु की उम्र–..
2. वाहन का प्रकार व संख्या, जिससे पशु का परिवहन किया गया..
3. पशु का प्रकार गाय / भैंस–.......................... पशु की नस्ल......................................
4. पशु का मूल्य (रू में)......................................, (शब्दों में) ....
5. क्रय के समय पशु का दुग्ध मात्रा(ली0) में... पशु की ब्यांत संख्या–..............................
6. पशु का संक्षिप्त विवरण (रंग,माप आदि):–.. टैग न0–..
7. यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि क्रय किया जा रहा पशु राज्य के बाहर से क्रय किया गया है।
8. मेरे द्वारा पूर्ण सन्तुष्टि उपरान्त उपरोक्त विवरण का पशु रू0.., (शब्दों में) रू0..में क्रय किया गया है। मै अंकित विवरण अनुसार रू0.................... ...., (शब्दों में) रू0.. सम्बन्धित पशु विक्रेता को भुगतान / हस्तान्तरित करने का अधिकार परियोजना कार्यालय को प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
क्रेता	विक्रेता	पर्यवेक्षक	पशुचिकित्सक, दुग्ध संघ	अध्यक्ष क्रय कमेटी

घोषणा–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा संलग्न पशु क्रय विवरण/रशीद के अनुसार दुधारू पशु स्वयं की पसन्द से पूर्ण संतुष्टि उपरान्त .... टाईम का दुहान देखते हुए क्रय किया गया है, जिसका फोटो मेरे एवं विक्रेता के साथ निम्नवत् चस्पा है।

क्रय किये गये पशु सहित क्रेता व विक्रेता एवं क्रय कमेटी के दो सदस्यों का एक संयुक्त रंगीन फोटो

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
क्रेता	**विक्रेता**	**पर्यवेक्षक**	**पशुचिकित्सक, दुग्ध संघ**	**अध्यक्ष क्रय कमेटी**

सेवा में,

परियोजना निदेशक, डेरी,

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना,

देहरादून।

महोदय,

कृपया अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि मै श्री..
पुत्र श्री .... स्थायी पता..
....
....के द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत डेरी फार्म पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। योजनान्तर्गत मेरे उक्त स्थायी पते के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत निम्नलिखित पते पर मैं राज्य के बाहर से उन्नत नस्ल के दुधारू पशु (गाय व भैंस) योजनान्तर्गत नियमानुसार आपूर्ति करने हेतु पूर्ण रूप से सहमत हूँ–

....

....

....

अतः महादेय से अनुरोध है कि मुझे उक्त वर्णित पतों पर योजनान्तर्गत दुधारू पशु विक्रय की अनुमति प्रदान करने की कृपा करना चाहेगे।

दिनांक–..

भवदीय,

डेरी फार्म स्वामी का नाम व हस्ताक्षर